

राजस्थान सरकार  
औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक डीसी-2/ए-1/एचपी- /14/1769

दिनांक 19/9/14

समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान।  
समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान।


अलर्ट नोटिस

विषय:- गम्भीर रूप से घोषित अवमानक औषधि के सम्बन्ध में अलर्ट नोटिस।

राजकीय विश्लेषक, औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, जयपुर (राज0) ने निम्नांकित टेस्ट रिपोर्ट जारी कर निर्माता M/s Ind-Swift Ltd. (Unit-III) Village Malkumajara, Teh. Nalagarh, Distt. Solan 173205 (HP) के द्वारा निर्मित निम्न औषधि को उनके सम्मुख अंकित कारण से अवमानक कोटि का घोषित किया है:-

S.No.	Name of Drugs/ Batch No.	T/R No. & Date / m/d/e	Reason
1.	Betamethasone Sodium Phosphate Tablets I.P. (STEMIN FORTE) BSFE-189	1165/2014-2015/DTL/2014 dated 17-09-2014 m/d 10/2013 e/e 09/2015	The sample doesnot conform to the claim with respect to Assay found 1.75mg (i.e. 175% of claim)
2.	Betamethasone Sodium Phosphate Tablets I.P. (STEMIN FORTE) BSFE-189	1166/2014-2015/DTL/2014 dated 17-09-2014 m/d 10/2013 d/e 09/2015	The sample doesnot conform to the claim with respect to Assay found 1.75mg (i.e. 175% of claim)
3.	Betamethasone Sodium Phosphate Tablets I.P. (STEMIN) BSTN-269	1167/2014-2015/DTL/2014 dated 17-09-2014 m/d 09/2013 d/e 08/2015	The sample doesnot conform to the claim with respect to Assay found 1.15mg (i.e. 230% of claim)
4.	Betamethasone Sodium Phosphate Tablets I.P. (STEMIN) BSTN-269	1168/2014-2015/DTL/2014 dated 17-09-2014 m/d 09/2013 d/e 08/2015	The sample doesnot conform to the claim with respect to Assay found 1.16mg (i.e. 232% of claim)
5.	Betamethasone Sodium Phosphate Tablets I.P. (STEMIN) BSTN-269	1169/2014-2015/DTL/2014 dated 17-09-2014 m/d 09/2013 d/e 08/2015	The sample doesnot conform to the claim with respect to Assay found 1.17mg (i.e. 234% of claim)

अतः आप पूरे राज्य में अपने-अपने क्षेत्र में पूर्ण निगरानी/सतर्कता बरतते हुये औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियम 1945 के प्रावधानों के अनुरूप शीघ्र आवश्यक कार्यवाही कर से सूचित करें तथा उक्त निर्माता की अन्य औषधियों के नमूने भी नियमानुसार जांच हेतु लें।


  
औषधि नियंत्रक,  
राजस्थान, जयपुर

कमांक डीसी-2/ए-1/एचपी- /14/ 1769

दिनांक : 19/9/14

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु मय दवाओं की सूची के संलग्न कर प्रेषित है:-

1. औषधि महानियंत्रक (भारत), एफ.डी.ए. भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली।
2. उप औषधि नियंत्रक(भारत), सी0डी0एस0सी0ओ0 (नार्थ जोन), कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद।
3. प्रबन्ध निदेशक, आर0एम0एस0सी0एल0, मुख्यालय।
4. निजी सचिव, मिशन डायरेक्टर, एन0आर0एच0एम0, राज0 जयपुर।
5. निदेशक (जन स्वास्थ्य/प0क0/आईईसी/एडस/एम0एस0यू0/ई0एस0आई0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज0 जयपुर।
6. राज्य औषधि नियंत्रक, साई रोड, बद्दी जिला सोलन (एच0पी0)।
7. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राज0 जयपुर।
8. समस्त अधीक्षक, सामुहिक चिकित्सालय समूह, राजस्थान।
9. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
11. जन सम्पर्क अधिकारी, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
12. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त सभी अधिकारियों को आदेश की प्रति e-mail से भिजवावें तथा Drugs Control की विभागीय Website पर upload करने का श्रम करें।
13. रक्षित पत्रावली।

  
औषधि नियंत्रक,  
राजस्थान, जयपुर।